☎ : 07672-251164(कार्या. )
07672-251490 (फैक्स )
E:mail Id :– satnacentraljail@gmail.com

# कार्यालय जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सतना (म०प्र०)

## विज्ञप्ति

क्रमांक............../निर्वाह/2018 सतना ,दिनांक ...... /........../2018

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय जेल सतना कार्यालय की निम्नानुसार निष्प्रोजित वाहन " जहॉ है, जैसे है " की बिक खुली नीलामी (घोष विकय) दिनांक 25.05.2018 को प्रातः 11:00 बजे केन्द्रीय जेल सतना में की जावेगी:–

**विवरण निम्नानुसार है:–**

| क्रमांक | वाहन का प्रकार | वाहन कमांक | निर्माण वर्ष | आफसेट प्राइज |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजदूत मोटर साइकिल | M.P-02/6175 | 1992 | 3,000 |
| 2 | मार्सल एम्बूलेन्स | M.P-02/2872 | 1996 | 40,000 |
| 3 | टाटा सूमो | M.P-02/3294 | 1997 | 45,000 |

ऊपर दर्शित वाहन विकय की समस्त जानकारी www.mp.nic.in/mpjail बेवसाईट पर देखी जा सकती है। नीलामी एवं अन्य समस्त कार्यवाही जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल सतना द्वारा की जावेगी एवं नीलामी कार्यवाही की शर्ते कार्यालय (निर्वाह शाखा) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल सतना से प्राप्त की जा सकती है।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सतना (म0प्र0)

# नीलामी की शर्ते

1. छः पहिया वाहनों की धरोहर राशि 5000/–(पांच हजार), चार पहिया वाहनों के लिए धरोहर राशि 5000/–(पांच हजार), एवं दो पहिया वाहनों के लिए 1000/–(एक हजार) का जेल अधीक्षक सतना के नाम बैंक ड्रॉफ जो भारतीय स्टेट बैंक से बना हो अथवा नगद राशि इस कार्यालय में जमा कराना होगा, जमानत राशि बोली समाप्त होने पर वापस की जावेगी, जमानत राशि दिनांक 23.05.2018 एवं 24.05.2018 को सुबह 11:00 बजे सायं 5:00 बजे तक जमा कराना होगा अन्यथा बोली में सम्मिलित नही किया जावेगा।
2. बोली स्वीकार करने के पश्चात जमानत राशि का समयोजन किया जावेगा, तथा शेष राशि का बैंक ड्रॉफ भारतीय स्टेट बैंक सतना का स्वीकार किया जाएगा।
3. बोली स्वीकार होने पर 50 % राशि तुरंत जमा करना होगा। तथा शेष राशि 10 दिवस के अंदर जमा करना अनिर्वाय होगा।
4. यदि बोलीकर्ता द्वारा शर्त कमांक 03 के अनुसार संपूर्ण राशि नहीं जमा की जाती तो विकय वाहन उससे निचली बोलीकर्ता को दी जायेगी , तथा शासकीय छति की पूर्ति प्रथम बोलीकर्ता की जमानत राशि एवं 50 % जमा राशि से की जायेगी।
5. वाहनों के आपसेट प्राइज के मान से ली जाने वाली सुरक्षा निधि की राशि के अतिरिक्त 04,02,06, पहिया वाहनों के लिए नीलामी राशि के 50 % राशि वाहन केता से जमा करायी जावे एवं एक माह के अंदर वाहन का पंजीयन केता के नाम से होने पर उक्त राशि को केता को वापस की जावेगी। यदि एक माह की अवधि में वाहन केता द्वारा वाहन का पंजीयन नही कराया जाता है तो उक्त राशि राजसात कर ली जायेगी एवं भविष्य की नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जयेगा।
6. वाहन केता के वाहन का पंजीयन कराने के बाद वाहन की सुपुर्दगी प्रदाय की जायेगी।
7. नीलामी में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों से उनके पहचान हेतु पैन/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करायी जायेगी।
8. विकय किये जाने वाले वाहन का विकय दर देय नही होगा।
9. बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा एवं अपरिहार्य कारणों से बिना किसी को सूचना के नीलामी तिथि निरस्त की जा सकेगी।
10. इस कार्यालय से नीलामी द्वारा प्राप्त वाहन पर अग्रिम किसी भी कार्य में होने वाला व्यय बोलीकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
11. केता द्वारा कय किया गया वाहन 10 दिवस के अन्दर अपने सुपुर्दगी में लेना होगा, अन्यथा बेचा गया निरस्त कर 50 % राशि जप्त की जावेगी।
12. वाहन कय उपरांत व सुपुर्दगी पूर्व वाहन की किसी भी स्तर पर एम.पी. 03 नम्बर का प्रदर्शन गैरकानूनी होगा।
13. वाहन केता द्वारा 01 माह के अंदर वाहन का पंजीयन आवश्यक रूप से करा लिया जाये यदि इसके उपरांत भी किसी केता द्वारा जेल विभाग के पंजीयन कमांक पर ही वाहन संचालित किया जाना पाया गया तो संबंधित के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सतना (म0प्र0)